BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO.88/2017

Tribunal at Its Own Motion ...**Applicant**

Vs.

State of Rajasthan ...**Respondents**

INDEX

S.N.	Particulars	Page No.
1.	**Status report in compliance of Hon'ble Tribunal order dated 06.10.2021 on behalf of the Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur**	1-4
2.	**DOCUMENTS**	
	Annex.-R/1. Present online case status as per Hon'ble Supreme Court official website	5-
	Annex.-R/2. Photo copy of the District Collector letter dated 25.11.2021	6-
	Annex.-R/3 Photo copy of the minutes of meeting dated 24.06.2020	7-11
	Annex.-R/4 Photo copy of the Executive Engineer, Nagar Nigam, Jaipur letter dated 25.11.2021	12.

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR CITY (RAJ.) Regn. No. 19042 Comm. Expired on 30-01-2025 GOVT. OF INDIA

Arvind Soni, Advocate
Counsel for the respondent
Rajasthan State Pollution Control Board

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR (RAJ.) Regn No 19042 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

13 DEC 2021

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO.88/2017

Tribunal at Its Own Motion ...**Applicant**

Vs.

State of Rajasthan ...**Respondents**

STATUS REPORT IN COMPLIANCE OF HON'BLE TRIBUNAL ORDER DATED 06.10.2021 ON BEHALF OF THE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, JAIPUR

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR CITY (RAJ.) Regn. No. 19042 Comm. Expired on 30-01-2025 GOVT. OF INDIA

I, Vijay Sharma, S/o Late Shri Krishna Kumar Sharma, aged 49 years, presently working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North), do hereby solemnly State and affirm as under:-

1) That I am working as Regional Officer in Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North) and I am well conversant with the facts and circumstances of the matter and as such competent to swear this affidavit on behalf of the Rajasthan State Pollution Control Board.

2) That the Writ Petition (Civil) No. 569/2015 Jal Mahal Resorts Private Ltd. Vs State of Rajasthan & Others as per the online case status from the official website of the Hon'ble Supreme Court, is pending. It is pertinent to mention here that the State

ATTESTED 13 DEC 2021

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR (RAJ.) Regn No 19042 GOVT OF INDIA

NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) INDIA

NOTARY
KATARIA
CITY (RAJ.)
No. 19042
Expired on
30-01-2025
GOVT. OF INDIA

Board is not party respondent before the Hon'ble Supreme Court in the above mentioned writ petition.

NOTARY
SANJEEV
KUMAR KATARIA
JAIPUR CITY (RAJ.)
Regn. No. 19042
Comm. Expired on
30-01-2025
GOVT. OF INDIA

It is further submitted that the Hon'ble Supreme Court vide order dated 07.09.2015 has directed as follows "***Status quo as on today be maintained by both the parties.***" The internet downloaded copy of the Hon'ble Supreme Court order dated 07.09.2015 has already been submitted before the Hon'ble Tribunal.

3) That the writ petition was further listed before the Hon'ble Apex Court on 02.11.2015; 16.11.2015; 11.03.2016; 23.09.2016; 16.11.2016; 23.11.2016; 30.11.2016; 06.03.2017 and 27.03.2017. The internet downloaded copy of the Hon'ble Supreme Court online case status along with orders dated 02.11.2015; 16.11.2015; 11.03.2016; 23.09.2016; 16.11.2016; 23.11.2016; 30.11.2016; 06.03.2017 and 27.03.2017 have already been submitted before this Hon'ble Tribunal by the State Board. It is submitted that the writ petition has been tagged along with the Contempt Petition no. 14/2015.

4) That the Contempt Petition (Civil) No. 14/2015 Jal Mahal Resorts Pvt. Ltd. Vs Shailendra Kumar Agarwal was listed before the Hon'ble Supreme Court on 17.07.2017; 19.09.2017; 23.11.2017; 27.03.2018 and 31.08.2018. The internet downloaded copy of the Hon'ble Supreme Court orders dated 17.07.2017; 19.09.2017; 23.11.2017; 27.03.2018 and 31.08.2018 have already been submitted before this Hon'ble Tribunal. The present

ATTESTED
NOTARY
SANJEEV
KUMAR KATARIA
JAIPUR (RAJ.)
Regn No 19042
GOVT. OF INDIA
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
13 DEC 2021

online case status as per Hon'ble Supreme Court official website is annexed herewith and marked as **Annexure-R/1**.

5) That the state board has filed two criminal complaints against the officials of the Jaipur Municipal Corporation under section 43 and 44. Both the criminal complaints are sub-judice before the learned court. The details of which have already been submitted before the Hon'ble Tribunal.

6) That the state board has also executed directions for closure under section 33 A of the Water Act, 1974 against total 41 units located in nearby area of Mansagar Lake.

7) That the District Collector, Jaipur vide letter dated 25.11.2021 directed the Commissioner, Nagar Nigam Heritage, Jaipur to take action against the industrial units illegally operating in residential area near Mansagar Lake. The photo copy of the District Collector letter dated 25.11.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-R/2**.

It is pertinent to mention here that a meeting was held on 24.06.2020 under the Chairmanship of Chief Secretary, State of Rajasthan wherein it was directed that action against the illegally operating units in residential areas shall be taken by the concerned local administration ie. Nagar, Nigam, Nagar Palika, JDA, UIT etc. The photo copy of the minutes of meeting dated 24.06.2020 is annexed herewith and marked as **Annexure-R/3**.

ATTESTED

03 DEC 2021

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR CITY (RAJ.) Regn. No. 19042 Comm. Expired on 30-01-2025 GOVT. OF INDIA

4.

8) That the Executive Engineer, Sewar Project, Nagar Nigam Heritage, Jaipur vide letter dated 25.11.2021 has informed that new sewage line has been laid down and excess sewage from Barmhapuri STP is being transferred to Jaisinghpura Khor STP for treatment. The photo copy of the Executive Engineer, Nagar Nigam, Jaipur letter dated 25.11.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-R/4**.

The status report may kindly be taken on record.

(Vijay Sharma)
Regional officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (North)

NOTARY SANJEEV KUMAR KATARIA JAIPUR CITY (RAJ.) Regn. No. 19042 Comm. Expired on 30-01-2025 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 DEC 2021

Annexure- R/1

(5)

SUPREME COURT OF INDIA (/)

|| यतो धर्मस्ततो जयः ||

(/)

App Store (https://apps.apple.com/in/app/supreme-court-of-india/id1523266644)

Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.sciapp)

Get Your App

Case Information (click here)

Diary Number	Case Number	Party Name	AOR	Court / Tribunal	Free Text

4248 captcha*

Case Type	Number	Year	
CONTEMPT P	14	2015	Submit

Diary No.- 38248 - 2014

JAL MAHAL RESORTS PVT. LTD. vs. SHAILENDRA KUMAR AGARWAL

Case Details

Diary No.	**38248/2014** Filed on 21-11-2014 04:13 PM **[SECTION: XV]** **PENDING**
Case No.	*CONMT.PET.(C) No. 000014 - 000016 / 2015 Registered on 13-01-2015* CONMT.PET.(C) No. 000564 / 2014 Registered on 17-12-2014
Present/Last Listed On	**28-11-2017 [HON'BLE MR. JUSTICE J. CHELAMESWAR and HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY MANOHAR SAPRE]**
Status/Stage	Pending - (Motion Hearing [DISPOSAL/FINAL DISPOSAL AT ADMISSION STAGE - CIVIL CASES]) List On (Date) (23-01-2018), Part Heard-Ord dt 28-11-2017
Tentatively case may be listed on (**likely to be listed on**)	14-12-2021 (Computer generated)
Category	0816-Letter Petition & Pil Matters : SLPs filed against judgments / orders passed by the High Courts in Writ Petitions filed as PIL
Act	
Petitioner(s)	1 JAL MAHAL RESORTS PVT. LTD. ,JAIPUR , RAJASTHAN
Respondent(s)	1 SHAILENDRA KUMAR AGARWAL ,JAIPUR , RAJASTHAN 2 MR. SHAILENDRA KUMAR AGARWAL . 3 MR SHAILENDRA KUMAR AGARWAL .
Pet. Advocate(s)	E. C. AGRAWALA[P-1]
Resp. Advocate(s)	NACHIKETA JOSHI[R-3] MILIND KUMAR[R-1] DEEPAK GOEL[R-1] Nishanth Patil[R-1]
U/Section	

Indexing

Earlier Court Details

Tagged Matters

Listing Dates

Interlocutory Application / Documents

Court Fees

Notices

Defects

Judgement/Orders

Annexure - R/2

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक: आर–1/( )2021/एनजीटी/ दिनांक:

आयुक्त,
नगर निगम हैरिटेज,
जयपुर।

विषय:– Original Application no. 88/2017 Before the National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 के क्रम में।

प्रसंग:– उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के पत्रांक 2551 दिनांक 22.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में Original Application no. 88/2017 Before the National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 की पालना में श्री शोयब हसन खॉन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल से जवाब/शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में राय प्राप्त की गई जिसके अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा चालू औद्योगिक ईकाईयों का प्रदूषित जल मानसागर झील, जयपुर में प्रवाहित होने तथा उक्त औद्योगिक ईकाईयों को बंद किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण में अति० अधिवक्ता द्वारा दी गई राय के अनुसार मानसागर झील जयपुर में चिन्हित चालू 10 औद्योगिक ईकाईयो जिनके द्वारा प्रदूषित जल मानसागर झील, जयपुर में प्रवाहित कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है का उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार जयपुर, नायब तहसीलदार जयपुर, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झोटवाड़ा एवं संबन्धित भू0अ0नि0, पटवारी व अन्य कार्मिकों के साथ दिनांक 17.11.2021 को मौका निरीक्षण किया गया जिसमें 10 औद्योगिक ईकाईयों में से 09 चालू पाई गई एवं 01 बंद पाई गई (सूची संलग्न)

मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2020 को आयोजित अन्तर विभागीय बैठक के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र दिनांक 30.06.2020 द्वारा जारी कार्यवाही विवरण एवं पत्र दिनांक 09.07.2020 द्वारा जारी संशोधित कार्यवाही विवरण के अनुसार वांछित भू–संपरिवर्तन के अभाव में स्थापित एवं कार्यरत इकाईयों पर कार्यवाही संबंधित विभाग यथा राजस्व विभाग/नगरीय विकास विभाग/स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना विधि सम्मत है।

उक्त के अतिरिक्त नगर से जनित उच्छिष्ट के मानसागर झील में पहुँचने की संभावना तथा अनुपचारित उच्छिष्ट को मानसागर झील में पहुँचने से रोकने हेतु की गई व्यवस्था तथा ब्रह्मपुरी एवं जयसिंहपुरा खोर में स्थापित मल–जल शोधन संयत्रों में उच्छिष्ट के पहुँचने एवं उपचारित उच्छिष्ट के निस्त्राव हेतु स्थापित व्यवस्था तथा वर्तमान में उपचारित उच्छिष्ट के उपयोग की व्यवस्था से भी अवगत करावें।

अतः माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा पारित आदेशों एवं मुख्य सचिव की बैठक के कार्यवृत की पालना में उक्त औद्योगिक ईकाईयों को बंद करवाकर तथा इस प्रकार की अन्य कोई औद्योगिक ईकाईया भी संचालित हो तो उन्हें भी बन्द करवाकर पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवाने का श्रम करावें। अनुपचारित उच्छिष्ट/घरेलू मल–जल को मानसागर झील में पहुँचने से रोकने हेतु की गई व्यवस्था से अवगत करावें ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में आगामी नियत तिथि 30.11.2021 को जवाब/शपथ पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में लेख है भविष्य में भी मानसागर झील में किसी प्रकार के अनुपचारित उच्छिष्ट का नहीं जाना भी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

Sd

(अंतर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

क्रमांक:आर–1/( )2021/एनजीटी/ 10107

दिनांक: 25/11/21

प्रतिलिपि:–

1)उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के पत्रांक 2551 दिनांक 22.11.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

2)क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर उत्तर को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि पर संचालित उद्योगों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

25/11/21

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

Rajasthan

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 0141–2711329

बैठक कार्यवाही विवरण

(प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सम्मति प्रक्रिया से संबंधित अन्तर विभागीय प्रकरणों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.06.2020)

दिनांक 24.06.2020 को मध्यान्ह पश्चात् 04.00 बजे माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन सचिवालय के कमेटी कक्ष संख्या–1 में प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सम्मति प्रक्रिया से संबंधित अन्तर विभागीय प्रकरणों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों यथा उचित सामाजिक दूरी(Social Distancing), सेनिटाईजर व मास्क का उपयोग आदि का पूरा ध्यान रखा गया। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने मुख्य सचिव महोदय एवं समस्त अधिकारीगण का स्वागत किया तथा बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा विगत आठ माह में कन्सेन्ट एप्लीकेशन के त्वरित निस्तारण करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया जा सका, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। मण्डल द्वारा विगत 8 माह में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर किये गये कन्सेन्ट एप्लीकेशन के रिकार्ड निस्तारण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

दिनांक 23.09.2019 को मण्डल में लम्बित आवेदनों की संख्या	दिनांक 23.09.2019 से 19.06.2020 तक मण्डल में प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल आवेदन	दिनांक 23.09.2019 से 19.06.2020 तक निस्तारित आवेदनों की संख्या	दिनांक 20.06.2020 को मण्डल में लम्बित आवेदनों की संख्या
8624	7988	16612	12233	4379

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा बताया गया कि शेष 4,379 में से अधिकांश कन्सेन्ट एप्लीकेशन अन्य विभागों से संबंधित अनापत्ति के अभाव में मण्डल में लम्बित हैं। अन्य विभागों से संबंधित अनापत्ति की कन्सेन्ट एप्लीकेशन के निस्तारण में आवश्यकता के सम्बन्ध में श्री विजय सिंघल, सदस्य सचिव द्वारा विभाग वार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न निर्णय/निर्देश दिये गयेः–

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा का विवरण	निर्देश/निर्णय	संबंधित विभाग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1	• कन्सेन्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करते समय औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण की आवश्यकता। • अरूपान्तरित सरकारी भूमि पर स्थापित उद्योगों के लम्बित आवेदनों पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू– रूपान्तरण के अभाव में प्रस्तावित कार्यवाही।	भू–रूपान्तरण से संबंधित विभागों द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि बिना वैध भू–रूपान्तरण के स्थापित उद्योगों पर कार्यवाही किया जाना चुनौतीपूर्ण है। अतः निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल बिना औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण के उद्योग/परियोजना की कन्सेन्ट एप्लीकेशन को स्वीकार ना करें। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही जाँच कर लौटाये जा सकते हैं। मण्डल में लम्बे समय से औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–रूपान्तरण के अभाव में लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

		• निजी/राजकीय भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण के स्थापित उद्योगों पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव।	• सरकारी भूमि पर स्थापित उद्योगों के लम्बित कन्सेन्ट एप्लीकेशनों को स्पष्ट लैण्ड टाईटल नहीं होने तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के अभाव में एक अन्तिम नोटिस देकर निरस्त किया जा सकता है। • बिना भू-संपरिवर्तन कार्यरत उद्योगों पर नियमानुसार कार्यवाही राजस्व विभाग/स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा की जानी है। राजस्व विभाग/स्थानीय निकाय यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में वैधानिक रूप से ही उद्योग की स्थापना औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-सम्परिवर्तन प्राप्त कर ही की जावे।	राजस्व विभाग/ स्थानीय निकाय
2.	2	कन्सेन्ट एप्लीकेशन के साथ केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता।	केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) के प्रतिनिधि की उपस्थिति में विस्तृत चर्चा की गई। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एन.जी.टी.) के आदेशानुसार भू-जल दोहन हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा स्थापना सम्मति(CTE) के समय केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की रसीद की प्रति तथा संचालन सम्मति (CTO) के समय केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही लिया जावे। इसके अभाव में नये आवेदनों को आवेदन कर्त्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
			मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य में उद्योगों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय निदेशक, सी.जी. डब्ल्यू. बी., जयपुर को निर्देशित किया गया कि सी.जी.डब्ल्यू.बी. के स्तर पर अनापत्ति हेतु लम्बित आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण किया जावे।	केन्द्रीय भू-जल बोर्ड(सी.जी.डब्ल्यू.बी.)
			जल संसाधन विभाग को भी निर्देशित किया गया कि वह स्टेट ग्राउण्ड वाटर अथोरिटी की स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही करें।	जल संसाधन विभाग
3.	3	• खनन इकाईयों एवं भवन परियोजनाओं हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ द्वारा जारी क्लीयरेन्स की आवश्यकता। • माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निकटतम वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी/नेशनल पार्क/क्रिटीकल	निर्णय लिया गया कि वन विभाग राज्य के ऐसे क्षेत्रों की जिलेवार/तहसीलवार सूची प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को उपलब्ध करायेगा जहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ की क्लीयरेन्स की आवश्यकता नहीं है जिससे खनन इकाईयों/परियोजनाओं की अवस्थिति का निर्धारण कर कन्सेन्ट एप्लीकेशन पर निर्णय लिया जा सकता है। सूची में उल्लेखित क्षेत्रों के अतिरिक्त स्थानों पर संबंधित उप वन संरक्षक(DCF) से निकटतम वाईल्ड लाईफ सेन्च्युरी/नेशनल पार्क/क्रिटीकल टाईगर हेबीटेट/ई.एस.जेड. से दूरी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र लिया जावे। यदि कोई स्थान एक	वन विभाग

		टाईगर हेबीटेट/ई.एस. जेड. से दूरी के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।	से अधिक उप वन संरक्षक(DCF) के क्षेत्राधिकार में आता है तो संबंधित उप वन संरक्षक (DCF) सभी से सूचना लेकर ही अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। लीजधारक स्वयं वन विभाग से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ ही मण्डल को प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में नये आवेदनों को मण्डल द्वारा आवेदन कर्त्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है। निर्देशित किया गया कि खनन विभाग ही यह सुनिश्चित करें कि जिस स्थान पर माईनिंग लीज का आवण्टन किया गया है, वहाँ वर्तमान में भी वैधानिक रूप से माईनिंग अनुमत है या नहीं। यदि किसी भी न्यायालय/ प्राधिकारी/विभाग द्वारा माईनिंग प्रतिबन्धित की गई है तो उस स्थिति में खनन विभाग की ही प्राथमिक जिम्मेदारी है कि ऐसी माईनिंग लीज को निरस्त करने की कार्यवाही करें।	 खनन विभाग
4.	4	खनन इकाईयों हेतु खनन विभाग द्वारा जारी रवन्ना मण्डल की संचालन सम्मति की वैद्यता से पृथक करने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किये गये हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुये ही मण्डल की संचालन सम्मति(CTO) की वैधता को खनि विभाग के रवन्ना प्रबन्धन की ऑन–लाईन प्रक्रिया से जोडा गया है। अतः खनन इकाईयों की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु इस प्रक्रिया को जारी रखा जावे। यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी खनन इकाई में नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर खनि विभाग सर्वप्रथम माईनिंग लीज निरस्त करेगा तत्पश्चात् ही मण्डल को संचालन सम्मति निरस्त करने हेतु सूचित करेगा।	खनन विभाग/ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल खनन विभाग
5.	5	पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) की कन्सेन्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यकता।	निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) तथा मण्डल की सम्मति एक दूसरे के पूरक दस्तावेज हैं। अतः जिन प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक हैं, उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) प्रस्तुत किये बिना कन्सेन्ट एप्लीकेशन अपूर्ण मानी जावेगी। इसके अभाव में नये आवेदनों को आवेदन कर्त्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
6.	6	स्थानीय निकाय विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधीन संचालित सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) के लम्बित कन्सेन्ट एप्लीकेशनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) द्वारा पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना में सभी कस्बों व नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) की स्थापना की जानी है। इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग कार्य योजनायें बनायें। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में लम्बित सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) के 89 आवेदनों पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग अपने स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त	स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/राजस्थान राज्य प्रदूषण

			करें जो कि प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में सम्पर्क कर लम्बित आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमियों को पूर्ण करायें जिससे इनका त्वरित निस्तारण किया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के साथ बैठक का भी आयोजन किया जा सकता है।	नियन्त्रण मण्डल
7.	7	राजकीय अस्पतालों के कन्सेन्ट एप्लीकेशन एवं ऑथराईजेशन से सम्बन्धित प्रकरण	राजकीय अस्पतालों के 325 कन्सेन्ट एप्लीकेशन एवं ऑथराईजेशन मण्डल में लम्बित हैं जिसके मुख्य कारण सीवरेज उपचार संयंत्र का ना होना, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि है। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग **"कोर ग्रुप"** बनाकर कन्सेन्ट एप्लीकेशन के निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में रोड मैप प्रस्तुत करेंगे।	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग / स्वायत्त शासन विभाग / राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ. विजय सिंघल)
सदस्य सचिव

क्रमांकः F 12 (PSC-36) / RPCB / Jaipur / 491 - 510 दिनांक : 30/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खनिज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
17. आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
19. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण, झालाणा डूँगरी, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव

(11)

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
3. श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री वैभव गेलरिया, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ. डी.एन. पाण्डे, सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री अरिन्दम तोमर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री उज्जवल राठौर, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. डॉ. विजय सिंघल, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
10. डॉ. एस.के. जैन, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, जयपुर।
11. श्री एच.एन. तिवारी, वैज्ञानिक "डी", केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, जयपुर।
12. श्री एम. एल. चौधरी, मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. श्री अशिम मार्कन्डेय, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
14. श्री एम. एल. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
15. श्री विजय गजराज, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जयपुर।
16. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रबन्धक, रीको, जयपुर।
17. डॉ. राजकुमार सोनी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
18. श्री आर.के. आमेरिया, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. श्री अभय श्रीवास्तव, पर्यावरण विशेषज्ञ, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
20. श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

(12) Annexure- B/4

कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, माणकचौक, बड़ी चौपड़, जयपुर)

क्रमांक अ. अभि. सि. प्रो./हैरिटेज/नानि/2021/ 82 दिनांकः– 25/11/2021

रिजनल ऑफिसर,
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
जयपुर।

विषयः–चाही गई सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अमृत योजना के अन्तर्गत पूर्व में क्षतिग्रस्त सीवर को बदलकर 1340 मीटर (1200mm Dia) की सीवर लाईन डाली गई थी। उक्त सीवर लाईन द्वारा वर्तमान में ब्रह्मपुरी एसटीपी से अतिरिक्त सीवर जयसिंहपुरा खोर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को भेजा जा रहा है जो कि जलमहल के पास स्थित जलतरंग में गेट नं. 1 से गेट नं. 3 से होकर गुजर रही है एवं कोई भी सीवर मानसागर लेक में नहीं मिल रहा है।

ब्रह्मपुरी 8 एमएलडी एसटीपी द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार ट्रीट किया जा रहा है। 8 एमएलडी ट्रीटेड वाटर जयपुर विकास प्राधिकरण के टीटीपी प्लांट के माध्यम से मानसागर लेक में जाना था वर्तमान में टीटीपी प्लांट बन्द होने की स्थिति में ट्रीटेड सीवर ब्रह्मपुरी नाले से होता हुआ सिंचाई विभाग की नहर में जा रहा है।

अधिशाषी अभियन्ता
सीवर प्रोजेक्ट,
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. गार्ड फाईल।

अधिशाषी अभियन्ता
सीवर प्रोजेक्ट,
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज